


155
165/18/225

जीसालाल बनाम राज-हरकर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म का तारीख में जारी हुए
24-1-19	<p>24/1/19</p> <p>श्री सुब्रह्मण्यम जोर श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। राजकीय अभिभाषक ने बताया कि यह अपील 225 राज.काश्तकारी अधिनियम की है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष अपील से सम्बन्धित दावें का निस्तारण हो चुका हैं इसलिए यह अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।</p> <p>अपील से सम्बन्धित वाद पत्र का अंतिम निस्तारण हो चुका है इसलिए अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है।</p> <p>अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।</p> <p> जिला अपील अधिकारी राजपुर</p>	